Relief and Rehabilitation of Victims of Communal Violence

3216. SHRI G. Y. KRISHNAN:
SHRI JAGPAL SINGH:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government have decided to step up rehabilitation of the victims of communal violence and to provide them grants and also arrange loans from nationalised banks;

(b) if so, the details regarding the procedure of giving loans and terms thereof;

(c) whether some suggestions were also received in the recent National Integration Council meeting in this regard from the members of the Committee; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b). With a view to providing immediate relief to the victims of communal riots, a scheme is under consideration of the Government to speed up the process of rehabilitation of the victims. The scheme proposes. *inter alia* sanction of garnts of reasonable amounts and arrangements for grant of loan from the nationalised banks to enable them to start their vocation afrash. This Scheme which also includes adoption of certain communal trouble-prone areas by some nationalised banks, is under consideration of the Government.

(c) and (d). Yes, Sir. A suggestion regarding adequate compensation to the victims of communal riots was made in the meeting.

पश्चिम बंगाल में मिशनरियों के प्रवेश पर रोक

3217. श्री तारिक अनवर: क्या गृह मंत्री "वलेमर इन झाड़ग्राम" के बारे में 16 जुलाई, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 566 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, बांकुरा और पुरूलिया जिलों तथा बिहार और उड़ीसा के समीपवर्ती जिलों, जिनमें आदिवासी रहते हैं, में विदेशी मिशनरियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ख) सरकार किन कारणों से विदेशी मिशनरियों, जिनके विरुद्ध स्थानीय लोगों को भड़काने के आरोप हैं, को देश छोड़ने के लिए बाध्य करने के बारे में कोई कदम नहीं उठा सकी; और

(ग) क्या सरकार विदेशों से धन प्राप्त करने वाले विदेशी मिशनरियों तथा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकरण पर निगरानी रखती है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) और (ख). विदेशी मिशनरियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और कोई विपरीत बात ध्यान में आती है तो यथोचित कार्रवाई की जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी विदेशी मिशनरियों तथा समाज सेवी संगठनों को सलाह दी है कि वे मिदनापुर, पुरूलिया तथा बांकुरा जिलों के जनजातीय बेल्ट में कोई नया कार्यक्रम न चलाएं। उनको यह भी सलाह दी गई है कि ज्यों ही राज्य सरकार उनके द्वारा स्थापित किए गए संस्थानों को अपने हाथ में लेने का प्रबंध करती है, वे तत्काल वहां से पूर्ण रूप से जाने के लिए तैयार रहें।

(ग) जो स्वयं सेवी संगठन विदेशों से धन प्राप्त करते हैं उन्हें केन्द्रीय सरकार को विदेशों से प्राप्त धन राशि, उसका स्रोत और तरीका जिससे ऐसा विदेशी धन प्राप्त किया और वह उद्देश्य जिस के लिए प्राप्त किया तथा वह तरीका जिसमें इस प्रकार प्राप्त धन का प्रयोग किया गया; इसके बारे में छमाही सूचना भेजनी पड़ती है। ऐसे संगठनों से यह भी अपेक्षा है कि वे केन्द्रीय सरकार को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करें। यद्यपि समाचार पत्रों में कुछ संगठनों द्वारा धार्मिक, शैक्षणिक तथा